

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

मुकाम.....

किस्म मुकदमा.....



सांगीति वगैरे

बनाम.....

जोभा वगैरे

नं. 95/18

सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/3/18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>विठ्ठलधराम सिध्वा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पॉण्डेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>21/3/18</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>	
21/03/18	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित।</p> <p>विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल खुला पालत जिसे शामिल पत्रावली किया गया।</p> <p>विप्रार्थीगण वाकजुद तामिल अनुपस्थित जिन्हें विपलाय एडवोकेट कार्यवाही सम्मल में लाई जाली है मतः पत्रावली वास्ते वरस दिनांक 20/03/2018 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>	

28/03/18

प्रार्थी वकील उपस्थित / विपार्थी गैर
अनुपस्थित / प्रार्थी के अधिवक्ता की एक-
पक्षीय बयान सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने
बतया की प्रार्थी को अपने खालेदारी घेला के
चारों तरफ परदे नैखम स्थापित करवाने आव-
श्यक है इसलिए प्रार्थी का नैखमवनी आवेदन
स्वीकार किया जाकर नैखमवनी मांटेवा किया
जावे। मत: प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन
पर प्रार्थी का नैखमवनी आवेदन स्वीकार किया
जाकर लक्ष्मीलक्षार वापड को डमिशन निमुक्त
किया जाता है व मांटेवा दिया जाता है कि आप
स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी मू. समि-
लेष निरिस्त के प्रार्थी के खालेदारी घेला की
परदे नैखमवनी मांटे पर कुलड जमा कराऊं, उं,
पालना रिपोर्ट जाल होने पर वासिल पमावली
दा पमावली फंसल सुमा एं दर्ज नम्बर
से उम हो, वाखिल दमना हो

सहायक क्लर्क (SDC)
सायतु